

## **HAPUR POLICE**



## **OPERATION CONVICTION**

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग से

छेड़छाड़ करने के मामले में 05 आरोपियों को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व

5,000/-5,000/- रुपये (कुल 25,000/- रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक 30प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन किन्वक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटिरंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 15.10.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में 05 आरोपियों को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 26.08.2018 को अभियुक्तगण 1. अमित 2. मोहित पुत्रगण धर्मपाल 3. संजीव 4. सुनील 5. सुमित पुत्रगण रामपाल निवासीगण ग्राम कोटा हरनाथपुर थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ द्वारा नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना बाबूगढ़ पर मु030सं0 398/2018 धारा 147, 323, 354 भादिव व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 23.09.2018 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 15.10.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/स्पेशल पॉक्सो प्रथम हापुड़ द्वारा 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/-5,000/- रुपये (कुल 25,000/- रुपये) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0िन0 श्री चन्द्रवीर सिंह चौहान, पैरोकार म0का0 मोनू मिलक व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 प्रशांत कुमार पाण्डेय का विशेष योगदान रहा।



